(18)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–1 जयपुर दिनांक 3 May 2012

आदेश

विषय :– राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में संशोधन बाबत।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

किसी भी योजना में सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जाती है। भूमि की बढ़ती हुई कीमत तथा विकास लागत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुये विकासकर्ताओं के लिए इन सुविधाओं को विकसित किया जाना कठिन हो रहा है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा विकास लागत कम करने के लिए विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र की 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर तथा 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि का भाग आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एन. एल. मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

RTP-12 (69)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 03 MAY 2012

:: आ दे श ::

विषय :– राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में संशोधन बाबत।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिये विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

किसी भी योजना में सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जाती है। भूमि की बढती हुई कीमत तथा विकास लागत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विकासकर्ताओं के लिये इन सुविधाओं को आरक्षित दर पर भुगतान कर विकसित किया जाना कठिन हो रहा है। इसे दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विकास लागत कम करने के लिए विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र की 5000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर तथा 5000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का भाग आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्ता को आवंटित किया जा सकेगा बशर्ते कि आवंटन की तिथि से विकासकर्ता को एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारम्भ करना होगा।

(एन एल मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–तृतीय